प्रारुप–3
भाग–ii
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

16	. परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य सरकार
	ii) जिला	पिथौरागढ
	iii) वन प्रभाग	पिथौरागढ वन प्रभाग पिथौरागढ
	iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	राज्य सिविलभूमि 4.4910 हे0 मार्ग हेतु 3.916 हे0 मलवा निस्ताण हेतु 0.5750 हे0 वनपंचायत भूमि 0.1700 हे0
17	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	सिविल सोयम भूमि(वन स्वरूप) व वन पंचायत
18	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	
	i) वन का प्रकार	सिविल सोयम भूमि (वन स्वरूप) व वन पंचायत
	ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	03
	iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहें है, ~~रेखा~~ जिनकी सूचना संलग्न है।
	iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न है।
19	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक की आख्या/रिर्पोट संलग्न है तथा रिर्पोट से सहमत है।
20	वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूमि प्राप्त न होने के कारण वनभूमि में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मार्ग में सिविल एवं वनपंचायत भूमि प्रभावित हो रही है।
21	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
	i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	नही (प्रमाण पत्र संलग्न है)
	ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं	नही (प्रमाण पत्र संलग्न है)
	iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है।	नही (प्रमाण पत्र संलग्न है)
	iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है।	नही (प्रमाण पत्र संलग्न है)

	v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नही (प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नही (प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
	i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्षित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
	ii)यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	नही (वन अधिनियम का उल्ल्घंन नही हुआ है)
24	किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
	i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नही (अधिनियम का उल्ल्घंन नही हुआ है)
	ii)यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	–
	iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	–
25	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
	i. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है। प्रतिपूरक वनीकरण सिविल सोयम भूमि संलग्नानुसार में किया जाना प्रस्तावित है।
	ii. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है।
	iii क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।
	iv रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरो स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां।
	v क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न है।
26	वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के	

(11)

	वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
27	स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित प्रस्ताव का विभाग द्वारा राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। सहमत
	दिनांक 11-8-2017	हस्ताक्षर
	स्थान पिथौरागढ़	नाम प्रभागीय वन अधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग
		मोहर पिथौरागढ़

कनिष्ट अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)
Asst. Engineer
R.E.S. PMGSY
Didihat

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0आई0यू0,पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)
Executive Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y. Didihat